

परियोजना का नामः—

मा० मुख्यमंत्री घोषणा में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में कर्णप्रयाग—नौटी—पैठाणी राज्य मार्ग 34 से मालई तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.420 हे० सिविल वन भूमि, एवं मकड़िस्पोजल हेतु 0.030 हे० कुल भूमि 0.450 हे० सिविल वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सीमा—पिलरों पर होने वाले व्यय को वहन करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में कर्णप्रयाग—नौटी—पैठाणी राज्य मार्ग 34 से स्वीकृत हैं। यह मोटर मार्ग आदिबद्री—नौटी मोटर मार्ग के कि०मी० 39 से प्रारम्भ होकर मालई ग्राम तक निर्माण हेतु सीमा—पिलरों पर व्यय होने वाली धनराशि वन विभाग द्वारा मांगी जायेगी, उसको प्रस्तावक विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

A.U.BM

कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

AIC

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

M/NY

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर